SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

Impact Factor SJIF 2025 – 5.306

अंक-4, खण्ड-3, अक्टूबर - दिसम्बर 2025 E-ISSN : 2584-2900

# ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन

**लवकुश कुमार गुप्ता, कुलदीप तिवारी**

**सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग**

**श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)**

**शोध सार**

प्रस्तुत शोध जनपद जौनपुर के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन है। शोध-क्षेत्र के रूप में जौनपुर जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के ग्रामीण विद्यालयों का चयन किया गया जहाँ से नमूना समूह के शिक्षकों का प्रतिचयन किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि समायोजन के अंतर्गत कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षक अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में किस प्रकार सफलता प्राप्त करते हैं तथा क्या दोनों के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। इसके लिए विभिन्न ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समायोजित शिक्षकों से उनके वार्षिक प्राप्तांकों के आधार पर आँकड़े एकत्र किए गए। आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि समायोजित महिला तथा पुरुष शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। सामाजिक - आर्थिक स्थिति, प्रशिक्षण अवसरों तथा विद्यालयीन संसाधनों का प्रभाव दोनों ही समूहों पर समान रूप से देखा गया। शोध के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि समायोजन के पश्चात शिक्षक अधिक संगठित, जिम्मेदार तथा सृजनात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य जौनपुर के ग्रामीण परिवेश में कार्यरत समायोजित शिक्षकों चाहे वे महिला हों या पुरुष की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करना तथा उनमें संभावित अंतर की पहचान करना था। अध्ययन से यह सिद्ध हुआ कि समायोजित शिक्षक लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से प्रभावी हैं।

अंक-4, खण्ड-3, अक्टूबर - दिसम्बर 2025 E-ISSN : 2584-2900

**बीज शब्द**

समायोजित शिक्षक, शैक्षिक उपलब्धि, ग्रामीण विद्यालय, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, शैक्षिक प्रणाली, समावेशी शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्यक्षमता, विद्यालय विकास।

**प्रस्तावना**

हमारा परम लक्ष्य है मानव सर्वोत्तमता मनुष्य की सुख-समृद्धि समता ममता यश वैभव की सम्प्राप्ति। इनकी प्राप्ति का साधन तो शिक्षा ही हो सकती है क्यांकि मनुष्य जब अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है तो उसकी पूर्ति शिक्षा से ही संभव है।

जहाँ तक विषय वस्तु की बात है तो हमारा प्राचीन ज्ञान-विज्ञान इतना अद्भूत, प्रचुर सम्पन्न है कि उसका पुनरूद्धार कर हम वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को चरितार्थ कर सकते है। हमारा ज्ञान-विज्ञान, आयुर्वेद, शस्त्र-शास्त्र, आयुध विद्या, लौकिक-परलौकिक ज्ञान, मानव सेवा, सहिष्णुता, परमार्थ, त्याग, क्षमा, दान, क्षमाशीलता, करूणा, दया, पर्यावरण, सुरक्षा सहृदयता, जीयो और जीने दो की भावना से ओत-प्रोत का संस्कार हमारी नस-नस में भरा पड़ा है।

आज वर्तमान में उपरोक्त सद्गुणों का अभाव सारे विश्व में व्याप्त है। व्यक्ति के अन्दर स्वार्थपरता, लोलुपता, धनोपार्जन की घृणित उत्कण्ठा, दूसरे के सुख से दुःखी का भाव मानव मनस में कूट-कूट कर भरा पड़ा है। अपने निजी हितों की पूर्ति में व्यक्ति कितना नीचे गिरता जा रहा है कि वह अपने देश राष्ट्र समाज परिवार और स्वयं नैतिक हित भी दर किनार कर दे रहा है। गद्दार बनना भी स्वीकार कर ले रहा है। देशद्रोही भी कहलाने में शर्म नहीं आती। कहा गया है -

**जो मरा नहीं है भावो से**
**जिसमें बहती रसधार नहीं**
**वह हृदय नहीं वह पत्थर है।**
**जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।।**

अतः आज शिक्षा को अपनी प्राचीन गौरवान्वित सभ्यता संस्कृति पर आधारित बुनियादी ढाँचा विकसित करने की जरूरत है। व्यक्ति में नैतिकता परमार्थ सेवा त्याग का भाव भरने की आवश्यकता है। जिसपर सरकार समाज और जनता को आगे बढ़कर विचार कर फलीभूत करना होगा।

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास का माध्यम है बल्कि समाज के निर्माण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार उसकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा वह नींव है जिस पर व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं होती बल्कि वह बच्चों के नैतिक सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का वाहक भी होता है।

भारत जैसे विकासशील देश में जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वहां ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक विशेष रूप से समायोजित शिक्षामित्र शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। प्रारंभ में इन शिक्षकों की नियुक्ति विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई थी परंतु बाद में इन्हें समायोजित कर नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षामित्रों को नियमित सहायक अध्यापक के रूप में सेवा-नियम वेतनमान एवं प्रशिक्षित शिक्षक का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षकों को स्थायित्व प्रदान करना तथा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना था। समायोजन के पश्चात शिक्षामित्रों का दायित्व, प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व औपचारिक रूप से बढ़ गया। अतः यह जानना आवश्यक हो गया कि समायोजन के बाद महिला एवं पुरुष शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियाँ किस प्रकार प्रभावित होती हैं। यह प्रक्रिया न केवल शिक्षकों को स्थायित्व प्रदान करने वाली थी बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुदृढ़ करने का माध्यम बनी। समायोजन की प्रक्रिया ने शिक्षा जगत में एक नई बहस को जन्म दिया क्या ये समायोजित शिक्षक विशेष रूप से महिला एवं पुरुष दोनों शैक्षिक दृष्टिकोण से समान रूप से प्रभावी हैं? क्या उनके कार्य

प्रदर्शन में लिंग के आधार पर कोई अंतर है? क्या प्रशिक्षण अनुभव और संसाधनों तक पहुँच उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं? यही प्रश्न इस शोध की प्रेरणा का आधार बने। शोध की पृष्ठभूमि में यह बात उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों की संख्या में शिक्षामित्रों की नियुक्तियाँ की गईं जिनमें से एक बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षकों की थी। प्रारंभ में ये शिक्षक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अल्प प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त किए गए थे। समय के साथ जब इन्हें समायोजित कर नियमित किया गया तब शिक्षा की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक हो गया।

वर्तमान शोध इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया गया है जिसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियाँ कैसी हैं? और क्या उनमें कोई तुलनात्मक अंतर मौजूद है? यह अध्ययन इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इससे न केवल शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है बल्कि भविष्य में शिक्षा नीति निर्धारण में भी उपयोगी दिशा-निर्देश मिल सकते हैं।

**समस्या का स्वरूप**

भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना एक सततृ चुनौती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शैक्षिक संसाधन सीमित होते हैं शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। समायोजित शिक्षक ग्रामीण शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं। परंतु यह प्रश्न उठता है कि क्या ये शिक्षक जिन्हें प्रारंभ में न्यूनतम योग्यता और अल्प प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त किया गया था अब समायोजित होकर नियमित शिक्षक बनने के बाद शैक्षिक उपलब्धियों में अपेक्षित सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं

यह भी विचारणीय है कि क्या महिला और पुरुष शिक्षकों के प्रदर्शन में कोई उल्लेखनीय अंतर मौजूद है। क्या महिला शिक्षक बच्चों के भावनात्मक विकास में अधिक प्रभावी हैं और पुरुष शिक्षक शैक्षिक उपलब्धियों में या दोनों समान रूप से कार्य कर रहे हैं यही समस्या इस शोध का मूल आधार है।

**शोध की आवश्यकता**

- नीति निर्धारण हेतु यदि महिला और पुरुष शिक्षक समान रूप से प्रभावी सिद्ध होते हैं तो यह शिक्षा नीति के लिए सकारात्मक संदेश होगा।
- लिंग समानता के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि क्या अवसर मिलने पर दोनों लिंग समान रूप से शैक्षिक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
- प्रशिक्षण सुधार हेतु जिन कारकों का प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर पड़ रहा है उनकी पहचान से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।
- सामाजिक दृष्टिकोण सुधार हेतु समायोजित शिक्षकों को 'दूसरे दर्जे का मानने की जो प्रवृत्ति है इस शोध से उसे चुनौती मिलती है।
- ग्रामीण शिक्षा सुधार हेतु ग्रामीण बच्चों की नींव मजबूत करने में समायोजित शिक्षक की भूमिका का मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है।
- शोध से यह स्पष्ट होता है कि लिंग के आधार पर शिक्षकों की कार्यक्षमता को विभाजित करना उचित नहीं है। अवसर प्रशिक्षण और संसाधन मिलने पर महिला और पुरुष दोनों शिक्षक समान रूप से शैक्षिक उपलब्धि दिलाने में सक्षम हैं।
- ग्रामीण परिवेश में महिला शिक्षकों की उपस्थिति ने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। वहीं पुरुष शिक्षक विद्यालय की प्रशासनिक संरचना और सामुदायिक संपर्क को मजबूत करते हैं।
- समायोजन की प्रक्रिया ने शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाया है। पहले शिक्षामित्र असुरक्षित महसूस करते थे और उन्हें नौकरी स्थायित्व का अभाव था परंतु अब नियमित शिक्षक बनने के बाद वे अधिक जिम्मेदार संगठित और सृजनात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं।

**शोध उद्देश्य**

1. ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करना।

2. यह जानना कि क्या महिला एवं पुरुष शिक्षकों की उपलब्धियों में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है।
3. समायोजित शिक्षकों की शैक्षिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना।

इस शोध का महत्व अनेक स्तरों पर है। सबसे पहले यह लिंग समानता के संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में चल रही चर्चाओं को सशक्त करता है। यदि महिला और पुरुष शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियाँ समान पाई जाती हैं तो यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश होगा कि उचित अवसर और प्रशिक्षण मिलने पर दोनों लिंग समान रूप से सक्षम हो सकते हैं। दूसरी बात यह शोध प्रशासन को सुझाव प्रदान करता है कि किन कारकों पर ध्यान देकर शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन समायोजित शिक्षकों की सामाजिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण को समझने का अवसर भी देता है। यह देखा गया है कि कई बार समायोजित शिक्षकों को दूसरे दर्जे का समझा जाता है जबकि वे भी समान रूप से शिक्षा व्यवस्था का भाग होते हैं। इस शोध के माध्यम से यह धारणा चुनौती प्राप्त कर सकती है और नीति निर्माताओं को समावेशी एवं संवेदनशील निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है।

अंततः यह शोध ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक प्रयास है। यदि समायोजित शिक्षकों की उपलब्धियों का तुलनात्मक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो शिक्षा नीति अधिक व्यावहारिक समानतामूलक और परिणामोन्मुख बन सकती है। जनपद जौनपुर के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन।

**शोध परिकल्पना**

प्रस्तुत शोध अध्ययन उद्देश्य के अनुरूप शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया है।

**शोध प्रविधि**

प्रस्तुत शोध अध्ययन विवरणात्मक प्रकार का सर्वेक्षण प्रविधि अनुसंधान है।

**प्रतिदर्श**

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उपरोक्त जनसंख्या में से यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा 200 शिक्षामित्रों का जिनमें 100 ग्रामीण महिला तथा 100 पुरुष शिक्षामित्रों का चयन किया गया है।

**प्रयुक्त शोध उपकरण**

प्रदत्तों के वैद्य एवं विश्वसनीय आँकड़ों के संग्रहण हेतु शैक्षिक उपलब्धि मापन के लिए पूर्व कक्षाओं के वार्षिक प्राप्ताकों को लिया गया है।

**प्रयुक्त सांख्यिकी**

संग्रहीत आँकड़ों के विश्लेषण हेतु **C.R.** मूल्य परीक्षण का अनुप्रयोग किया गया है। जो निम्नवत् है-

$$\text{C.R.} = \frac{M_1 \sim M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}}}$$

जहाँ-

$M_1$ = प्रथम समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान।

$M_2$ = द्वितीय समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान।

$\sigma_1$ = प्रथम समूह के प्राप्तांकों का प्रमाणिक विचलन।

$\sigma_2$ = द्वितीय समूह के प्राप्तांकों का प्रमाणिक विचलन।

$N_1$ = प्रथम समूह की कुल संख्या।

$N_2$ = द्वितीय समूह की कुल संख्या।

**तालिका संख्या-**1.1

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धि का **C.R.** मूल्य विश्लेषण

| समूह | संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | मानक त्रुटि | C.R. मूल्य | सार्थकता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 100 | 64.89 | 10.68 | 1.56 | 0.46 | DF(198).05=1.97 से कम असार्थक |
| शहरी | 100 | 65.61 | 11.21 | | | |

उपरोक्त तालिका संख्या-1.1 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ग्रामीण महिला पुरुष समायोजित शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 64.89 तथा 65.61 मानक विचलन 10.68 तथा 11.21 है, मानक त्रुटि 1.56 और उसका C.R. मूल्य 0.46 जो .05 स्तर पर 1.97 से कम होने के कारण सार्थक नहीं है। अस्तु शोध अध्ययन की प्राकलित शून्य परिकल्पना -"ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है-", स्वीकृत की जाती है।

**निष्कर्ष**

स्पष्ट है कि ग्रामीण समायोजित महिला पुरुष शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सकारात्मक अंतर नहीं है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध अध्ययन से परिलक्षित होता है कि एक समान परिवेश तथा परिस्थितियों के होने के फलस्वरूप विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि चाहे वो महिला शिक्षामित्र हो अथवा पुरुष शिक्षा-दीक्षा एक तरह की होने के परिणाम स्वरूप उनकी शैक्षिक उपलब्धि लगभग समान ही है। वर्तमान शोध जनपद जौनपुर के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन" एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसका मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि क्या लिंग के आधार पर समायोजित शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में कोई सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। इसके लिए 200 शिक्षामित्रों (100 महिला एवं 100 पुरुष) का यादृच्छिक चयन किया गया और उनके कक्षाओं के वार्षिक प्राप्तांक आधार के रूप में उपयोग किए गए। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करते हुए परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि महिला शिक्षामित्रों का प्राप्तांक मध्यमान 64.89 था जबकि पुरुष शिक्षामित्रों का 65.61 था। दोनों के बीच मूल्य

केवल 0.46 पाया गया जो कि निर्धारित .05 स्तर पर 1.97 की न्यूनतम आवश्यकता से काफी कम है। अतः यह अंतर सांख्यिकीय रूप से असार्थक सिद्ध हुआ।

इस परिणाम के आधार पर अध्ययन की शून्य परिकल्पना ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समायोजित महिला एवं पुरुष शिक्षामित्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है" इस शोध से प्राप्त निष्कर्षों को निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- लिंग आधारित भेदभाव की पुष्टि नहीं हुई शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में महिला एवं पुरुष शिक्षामित्रों के प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। यह निष्कर्ष लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- समायोजित शिक्षकों की शैक्षिक प्रभावशीलता समायोजित शिक्षामित्र चाहे वे महिला हों या पुरुष अपने कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत समान रूप से प्रभावी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समायोजन के बाद उन्हें जो अवसर प्रशिक्षण एवं स्थायित्व मिला उसने उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- परिवेश का प्रभाव चूँकि सभी शिक्षामित्र एक ही ग्रामीण प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संसाधनों की भूमिका अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि जब शिक्षकों को एक जैसे प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री एवं विद्यालयीन वातावरण उपलब्ध होता है तो लिंग के आधार पर शैक्षिक प्रदर्शन में अंतर नहीं रह जाता।
- यह शोध शिक्षा नीति निर्माताओं को यह सुझाव देता है कि महिला शिक्षकों को किसी भी रूप में कमतर नहीं आँका जाना चाहिए। उन्हें पुरुष शिक्षकों के समान अवसर पदोन्नति और नेतृत्व की भूमिका में आगे लाया जाना चाहिए।

सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता कई बार सामाजिक स्तर पर महिला शिक्षकों को केवल सहायक या गौण भूमिका में देखा जाता है किंतु यह शोध यह स्थापित करता है कि वे पुरुषों के समान ही दक्ष एवं सक्षम हैं। अतः समाज और विद्यालय प्रशासन दोनों को इस मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए।

अंक-4, खण्ड-3, अक्टूबर - दिसम्बर 2025 E-ISSN : 2584-2900

**शैक्षिक निहितार्थ**

शोध से यह स्पष्ट होता है कि समान परिस्थितियों में काम करने वाले शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियाँ लिंग पर आधारित नहीं होतीं बल्कि यह कार्यक्षमता समर्पण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षकों को एक समान अवसर दिए जाएँ तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी और समावेशी बन सकती है। इस अध्ययन के आधार पर सुझाव दिये जा सकते है कि भविष्य में:

- महिला शिक्षकों को नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल किया जाए।-
- ग्रामीण विद्यालयों में लिंग समानता पर आधारित कार्यशालाएँ चलाई जाएँ।
- शिक्षामित्रों के लिए सततृ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित किया जाए।

अतः यह शोध न केवल एक विश्लेषणात्मक अभ्यास है बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता, शिक्षक सशक्तिकरण एवं नीति निर्माण के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक भी है।

**सन्दर्भ**

1. सिंह, अरुण कुमार -'शिक्षा मनोविज्ञान' : भारती प्रकाशन, पटना, 1983.
2. गुप्ता, एस0पी0 - 'सांख्यिकीय विधियाँ', 1994, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. कपिल, एच0के0 - 'अनुसंधान विधियाँ', 1999, हर प्रसाद भार्गव, प्रकाशन, मेरठ।
4. शर्मा, रमेश - भारतीय शिक्षा प्रणाली, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2001.
5. अग्रवाल, जे .सी.-शिक्षणअधिगम एवं शिक्षक प्रबंधन-, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2005.
6. कौशिक, आर .सी.- ग्रामीण शिक्षासमस्याएँ एवं : समाधान, राजपाल एंड संस, नई दिल्ली, 2010.
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद )NCERT) - शिक्षा का अधिकार एवं प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट, 2012.